

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ.905.सीसी / स्वा.का.पु. / 2025 / 17

दिनांक :- 13/2/2025

आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13532/2020 श्री रामकुमार दानोदिया, स्वास्थ्य निरीक्षक बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2023 की पालना में श्री रामकुमार दानोदिया, स्वास्थ्य निरीक्षक, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर को :-

1. देय ब्याज राशि रु.13629/-ग्रेच्युटी के विलंब से संबंधित होने से भुगतान हेतु प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पेंशन विभाग को भिजवाया जावे।
2. कार्मिक की सेवाये दिनांक 31.03.2020 के स्थान पर दिनांक 17.08.2020 तक सेवा संबंधी नियमितकरण हेतु सेवा नियमों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. क्रमांक 152500243 दिनांक 07.02.2025 एवं प्रशासनिक विभाग से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.905.सीसी / स्वा.का.पु. / 2025 / 17

दिनांक :- 13/2/2025

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को भिजवाकर लेख है कि प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रकरण को खारिज कराने की कार्यवाही करावे।
3. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
4. प्रभारी सर्वर रुम कमरा नं0 302 मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma

Designation: Director

Date :11-02-2025 06:27:12